टी०ए०मिस केस सं० 174/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
27-02-2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक शिवशंकर पुरती, पिता-स्व० महती पुरती, ग्राम-कातीगुटू, थाना-मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-तमाड़बॉध, थाना संख्या-125, खाता संख्या-72, प्लॉट सख्या-246 अंश, रकवा-0.03¾ एकड़ भूमि क्रेता बुधनी सोय, पति-सुखलाल सोय, ग्राम-गंजड़ा, थाना-मुफ्फसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम से ना०मु०सं० 13(एम)/2014-15 के द्वारा नामान्तरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-64, दिनांक-27.01.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता बुधनी सोय, पति-सुखलाल सोय, ग्राम-गंजड़ा, थाना-मुफ्फसिल के पास 1,00,000.00/-(एक लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है। अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक शिवशंकर पुरती, पिता-स्व० महती पुरती, ग्राम-कातीगुटू, थाना-मुफ्फसिल, क्रेता बुधनी सोय, पति-सुखलाल सोय, ग्राम-गंजड़ा, थाना-मुफ्फसिल के पास 1,00,000.00/-(एक लाख) रूपये में मौजा-तमाड़बॉध, थाना संख्या-125, खाता संख्या-72, प्लॉट सख्या-246 अंश, रकवा-0.03¾ एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एंव संशोधित। (हस्ताक्षर) 27/02 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 27/02/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner